बिहार सरकार
परिवहन विभाग

का0आ0सं0–07/स्था0–09–17/2025, परि0 पटना, दिनांक–

कार्यालय आदेश

जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के पत्रांक–6420, दिनांक–24.12.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री गौरव कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के विरूद्ध कोंच थाना, गया में प्राथमिकी सं0–600/25, दिनांक–23.12.2025 U/S 126(2), 115(2), 308(2), 308(5), 319(2), 318(4), 352, 3(5) के तहत केस दर्ज करते हुए दिनांक–23.12.2025 को गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में सुपुर्द किया गया है।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय आदेश सं0–10067, दिनांक–24.12.2025 द्वारा श्री गौरव कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, गया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(2) के तहत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 23.12.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार दिनांक–16.01.2026 को जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक–19.01.2026 को परिवहन विभाग, मुख्यालय में योगदान समर्पित किया।

4. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(3)(i) के संगत प्रावधानो के तहत श्री गौरव कुमार का निलंबन अवधि समाप्त मानते हुए योगदान दिनांक–19.01.2026 से स्वीकृत किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, गया/वरीय पुलिस अधीक्षक, गया/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया/जिला परिवहन पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/श्री गौरव कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1123 पटना, दिनांक– 10/02/2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.2.26
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।